



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, सोमवार, 20 अप्रैल, 2026 ई०

चैत्र 30, 1948 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

समाज कल्याण अनुभाग-01

संख्या- 286/XVIIA-1/2026-01(36)/2015 (E 40825),

देहरादून, 20 अप्रैल, 2026

अधिसूचना

उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 2015 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 16 वर्ष 2015) की धारा 4 की उपधारा (1) के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री प्रेम सिंह राणा, जनपद चमोली को "उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग" में 'उपाध्यक्ष' के पद पर नियुक्ति प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त महानुभाव को मंत्रिपरिषद विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-205/14/1/1/XXI/2022 टी०सी०, दिनांक 25 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित सुविधायें प्रदान की जायेगी, जिसका व्यय भार जनजाति कल्याण विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।

3. उक्त महानुभाव के कर्तव्य/दायित्व/अधिकार/पदावधि एवं सेवा शर्तें उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 2015 में विहित प्रावधानों के अनुसार होंगी।

आज्ञा से,

डॉ० श्रीधर बाबू अददांकी,
सचिव।